<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>अपीडी/टीए/3549/2002/धौलपुर</u>

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, धौलपुर

अपीलार्थी

बनाम

1 छविराम पुत्र पतोला
2 गंगाराम पुत्र पतोला सभी जाति धोबी निवासी जसुपुरा तहसील व जिला धौलपुर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री वी.पी.सिंह राजकीय अभिभाषक
श्री खडगसिंह वकील प्रत्यर्थी संख्या 1

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांकः..5.10.18</u>

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा अपील संख्या 31/93 में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थीगण ने एक वाद अधिनियम की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर, धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि साबिकख ासरा नम्बर 1065 हाल खसरा नम्बर 1231 रकबा 16 बिस्वा भूमि वाके ग्राम जसुपुरा तहसील धौलपुर के हकूक खातेदारी हमेशा हमेशा के लिए मु0 नारायणी पुत्री बलवन्त जाति ब्राहमण ने खचेरा वल्द चन्द को सम्वत 2014 में वशरह लगान शिकमी काश्त पर उठा दी जिसका इन्द्राज कागजात में उसी समय हो गया व कब्जा खचेरा का करा दिलया। मु0 नारायण सम्वत 2015 में फोत हो गई। मुद्दत बेदखली निकल जाने के बाद खचेरा ने उक्त आराजी वादीगण को दिनांक 6.2.69 को बिल एवज 2000 रूपये में

विक्रय कर दी। सम्वत 2014 से मुतवातिर काश्त करते रहने से खचेरा को हकूक खातेदार हांसिल हो गये एवं खचेरा के विकय्र करने से वादीगण को हांसिल हो गये। पटवारी ने वादीगण का नाम शिक्मी सम्वत 2031 में दर्ज कर रखा है जो गलत है। अतः वाद स्वीकार कर डिक्री किया जावे। प्रतिवादी राज्य सरकार ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर 5 तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 8.4.92 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया। इसके विरूद्व भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 15.12.2001 से खारिज की गई। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि मुं0 नारायणी के खातेदारी की थी तथा नारायणी विधवा औरत थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार विधवा औरत की भूमि पर कृषक को किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। नारायणी खातेदार के लाऔलाद फोत हो जाने से तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर जिला कलक्टर, धौलपुर के न्यायालय में वाद संख्या 63/86 लावारिस अधिनियम के तहत दर्ज किया व विचाराधीन है। नारायणी द्वारा आराजीयात सबलेट की जाना साबित नहीं कराया गया है। खचेरा को विवादित भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे जिससे खचेरा द्वारा दिनांक 6.2.69 को किया गया विक्रय नल एण्ड वोइड है एवं इससे वादीगण प्रत्यर्थीगण को किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र गलत रूप से स्वीकार किया गया है एवं इसका जबाब प्रस्तुत करने का अपीलार्थी प्रतिवादी को अवसर नहीं दिया गया। चाहे गये संशोधन से वाद की प्रकृति ही बदल जाती है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से यह अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि मु0 नारायणी के खातेदारी की थी तथा खचेरा को सम्वत 2003 से पूर्व से ही काश्त पर दे दी गई थी। उस समय नारायणी के पति जीवित थे जिनके द्वारा भूमि दी गई है। इस प्रकार विवादित भूमि विधवा औरत द्वारा काश्त पर नहीं दी गई। राजस्व अभिलेख में शिकमी का इन्द्राज है। बेदखली की अवधि निकल जाने पर खचेरा खातेदार हो गया एवं खचेरा द्वारा विवादित भूमि का बेचान पंजीकृत विकय्र पत्र से वादीगण के पक्ष में किया गया है। इस प्रकार वादीगण विवादित भूमि के खातेदार बन गये। सम्वत 2014 से लगातार कब्जा पहले खचेरा का व बाद में

वादीगण का चला आ रहा है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अतः अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित हैं।

6. विचारण न्यायालय ने विवादित आराजीयात वादीगण द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 6.2.69 से क्रय करना एवं कब्जा काश्त होने के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने समवर्ती निर्णय पारित करते हुए अपील खारिज की है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2032 से 2035 में मुं0 नारायणी लावारिस खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2018 प्रदर्श 3 में विवादित आराजी मुं0 नारायणी बेवा नन्द किशोर के खातेदारी में दर्ज है तथा शि0 खचेरा वल्द चन्दू कौम धौबी सा0 देह सम्वत 2014 दर्ज है। यही इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत 2022 प्रदर्श 4 में हैं। जमाबन्दी सम्वत 2041 से 44 प्रदर्श 5 में छविराम, गंगाराम पिता पतोला खातेदार दर्ज है। प्रदर्श में भी यही अंकन है।

8. राजस्व अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि मुं0 नारायणी के खातेदारी में दर्ज रही है तथा मुं0 नारायणी विधवा औरत है। खचेरा को शिकमी काश्तकार सम्वत 2014 से दर्ज कर रखा है। इससे पूर्व का ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि मु0 नारायणी के पति द्वारा विवादित भूमि काश्त पर खचेरा को दी गई हो। अधीनस्थ न्यायालयों ने सम्वत 2003 से 2005 में विवादित भूमि मुं0 नारायणी के पति नन्द किशोर के खातेदारी में दर्ज होना मानकर निर्णय दिया है परन्तु पत्रावली पर ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे विवादित भूमि नन्दकिशोर के खातेदारी में दर्ज होना तथा खचेरा उनका किशमी काश्तकार होना साबित होता हो। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि मु0 नारायणी के खातेदारी की भूमि रही है। मु0 नारायण एक विधवा औरत है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार विधवा औरत की भूमि पर खेती करने वाले को अवधि पर आधारित किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में खचेरा वल्द चन्दू को विवादित भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खचेरा द्वारा वादीगण के पक्ष में दिनांक 6.2.69 को किया गया विक्रय पत्र निराधार होकर नल एण्ड वोइड है क्योंकि खचेरा विक्रय के दिन

विवादित भूमि का खातेदार नहीं था जिससे उसके द्वारा किया गया विक्रय शुन्य है। ऐसे विक्रय के आधार पर क्रेता अर्थात वादीगण को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया गया है जो अनुचित एवं गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। मुद्दत अर्थात अवधि निकल जाने के आधार पर एवं कब्जे के आधार पर वादीगण को खातेदारी हकूक प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण होने से हम यह अपील स्वीकार करना न्यायोचित समझते हैं।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर का निर्णय दिनांक 15.12.2001 तथा सहायक कलक्टर, धौलपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 8.4.92 निरस्त किये जाते हैं। तदनुसार वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष